विभाग का नाम	:–	श्रम ,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (झारखंड सरकार)
कार्यालय का नाम	:–	जिला नियोजनालय ,गढ़वा।
पदाधिकारी का नाम एवं सेवा	:–	संतोष कुमार (झारखंड नियोजन सेवा)
पदनाम	:–	जिला नियोजन पदाधिकरी।
मोबाईल नं0	:–	9122193661,06561222175
ईमेल आई0डी0	:–	**employmentexchangegarhwa@gmail.com**

नियोजन कार्यालय के कार्यो का संक्षिप्त विवरणी

1. **नियोजनायल का पृष्टभूमिः**–सन् 1948 में अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन नियोजनानलयों के द्वारा रोजगार पाने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों को निःशुल्क, सार्वजनिक एवं संरक्षित सुविधा देकर विभिन्न सेवाओं में नियोजित करने हेतु सुझाव दिया गया है । इसी आधार पर श्री पी0 शिवा राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण एवं नियोजन सेवाऐं संगठन समिति की स्थापना की गई। इस समिति द्वारा दिय गए सुझाव के आलोक में कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया, जिसमें व्यवसायों का अनुसंधान,व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा नियोजन बाजार सूचना को जोडा गया। भारत सरकार द्वारा शिवा राव समिति के सुझावों का अनुसरण कर **The Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act** 1959 को लागू किया गया। इसके नियम 1960 में बनाया गए तथा यह पूरे भारत वर्ष में 1 मई 1960 से लागू किया गया।
2. **निबंधनः**– कार्यालय का कार्य शिक्षित/अशिक्षित रोजगार पाने पाले बेरोजगार अभ्याथियों का निःशुल्क निबंधन का कार्य सम्पादित करना। निबंधन,आवेदक/आवेदिका jharkhandemployment.nic.in पर भी लॉगइन कर स्वयं कर सकतें है।
3. **नवीकरण** :– कार्यालय द्वारा किए गए निबंधन का नवीकारण प्रत्येक तीन वर्षो पर आवेदको द्वारा प्रस्तुत निबंधन कार्ड **(X10)** के जॉचोपरान्त किया जाता है। निबंधन कार्ड की वैधता तीन वर्ष के लिए होता है। 2 महिने का ग्रेस भी दिया जाता है। नवीकरण नही कराने पर कार्ड की वैधता खत्म हो जाती है।
4. **सम्प्रेषणः**– नियोजकों द्वारा स्थायी/संविदा पर विभिन्न पदो के लिए की जाने वाली नियुक्ति के आलोक में कार्यालय को रिक्ति अधिसूचना **CNV ACT** के अनुसार अनिवार्य है। रिक्ति प्राप्त होने पर वरीयता कम से योग्य उम्मीदवारों की सूची संबंधित नियोजकों को सम्प्रेषित किया जाता है।
5. **नियोजन पण्य सूचना (EMI) : -CNV ACT** 1959 के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों/स्थापनाओं को प्रत्येक माह के मार्च,जून,सितम्बर एवं दिसम्बर माह के समाप्त होने पर प्रतिष्ठानों मे कार्यरत कर्मियो के संबंध मे आवश्यक जानकारी **ER-I** प्रपत्र पर इस कार्यालय को देना अनिवार्य है। द्विवार्षिक विवरणी **ER-II** प्रत्येक दो वर्षो पर नियोजनालय को प्राप्त कराना है। जिसमें निजी वृत को विषम वर्ष एवं जनवृत को समवर्ष के सितम्बर माह का विवरणी अक्टूबर माह मे देना अनिवार्य है।

   उपर्युक्त विवरणी ससमय इस कार्यालय को प्राप्त नही कराना **CNV ACT** के विभिन्न धराओं के अर्न्तगत एक दण्डनीय अपराध है। ऐसा नही होने पर भारत सरकार को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जनशक्ति/मानवशक्ति एवं उससे संबंधित योजनाओं के लिए शत् प्रतिशत आकडे उपलब्ध कराने मे महत्वापूर्ण होता है।
6. कैरियर स्टडी सेन्टरः– कार्यालय में सरकार द्वारा कैरियर स्टडी सेन्टर की स्थापना की गई है। जहां विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं सें संबंधित पाठक पुस्तके पत्र–पत्रिकाऐं एवं समाचार पत्र उपलब्ध है। जहां इससे रूची रखने वालें विधार्थी उपस्थित हो कर निःशुल्क अध्ययन कर सकते है।
7. रोजगार मेला :– दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार योजनांतर्गत विभाग द्वारा मेला जिले में रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। जहां निजी क्षेत्रों मे नियोजको द्वारा अपने प्रष्ठिानों से संबंधित रिक्ति अधिसूचित कर बेरोजगार आवेदको का चयन किया जाता है।
8. भर्ती कैम्पः– कार्यालय द्वारा समय–समय पर किसी एक निजी वृत के नियोजक को आमत्रित कर भर्ती कैम्प का भी आयोजन किया जाता है।
9. मॉडल कैरियर सेन्टरः– **National Career Service** के तहत भविष्य मे जिला नियोजनालय गढ़वा में एक **Model Career Center** के रूप मे विकसित करने की योजना है। जिसके तहत **Career Counselling** एंव **Career Guidance** का प्रवधान है।
10. **Motto** :– बेरोजगारों को रोजगार के लिये विभाग संकल्पित एवं कटिबद्ध है।

विश्वासभाजन

11/08/17

जिला नियोजन पदाधिकारी

गढ़वा।